

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा का कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
25/4/24	व.फ. उम.	पत्रावली बडनकर कुर्बाना प्रस्ताव में रहकर आगामी दिनांक 06/6/24 को पेश हो/फ.
06/6/24	व.फ. उम.	पत्रावली बडनकर कुर्बाना प्रस्ताव में रहकर आगामी दिनांक 05/8/24 को पेश हो/फ.
05/8/24	व.फ. उम.	<p>व.फ. उम. / वृत्त में कुर्बाना रिपोर्ट प्राप्त हुआ। जो व्हा.फि. के वकील वकीलवादी के अधिवक्ता के मुताबिक कुर्बाना रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट किया जाने वाला निवेदन किया। कुर्बाना रिपोर्ट व पत्रावली का अपील किया गया। वकील का वाद मुताबिक कुर्बाना रिपोर्ट रिपोर्ट किया जाना अन्यायित प्रतिक्रिया है वीडियो लिंक दिखाया जाता है कि निर्णय प्रथम से लिखवाया व्हा.फि. किया गया। पत्रावली के अनुसार वकील वकील से करवाया जा रहा है।</p> <p>सहायक कलेक्टर गोम (अ.प्र.)</p> <p>सहायक कलेक्टर गोम (अ.प्र.)</p>

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं, जिला जयपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी :-प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

उनवान

1. राजकुमार पुत्र कालूराम
2. रामस्वरूप पुत्र कालूराम

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम सरगोट, तहसील रींगस, जिला सीकर।

-वादीगण-

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र बालूराम
2. राकेश पुत्र बालूराम
3. शंकरलाल पुत्र नाथूराम

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम बाढ़ावाली तन ढोढ़सर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर :-08/2023

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरू हाजरी वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रुबरू प्रियंका बड़गूजर आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

विवादित भूमि वाके ग्राम बाढ़ावाली, पटवार हल्का ढोढ़सर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता संख्या 306 के खसरा नं0 2472/297 रकबा 0.08 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.08 हैक्टेयर भूमि का मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 20.05.2024 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:-

1. शारदा देवी पत्नी राकेश, नाबा0 तनु, निशा पुत्रियां राकेश, नाबा0 निखिल पुत्र राकेश संरक्षक माता शारदा देवी पत्नी राकेश हिस्सा 1/2, बाबूलाल पुत्र बालूराम हिस्सा 1/2, जाति अहीर सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 2472/297/1 रकबा 0.0255 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0255 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

2. राजकुमार पुत्र कालूराम हिस्सा 1/2, रामस्वरूप पुत्र कालूराम हिस्सा 1/2, जाति अहीर निवासी सरगोट तहसील श्रीमाधोपुर सीकर खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 2472/297/2 रकबा 0.0400 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0400 हैक्टियर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. शंकरलाल पुत्र नाथूराम हिस्सा सम्पूर्ण, जाति अहीर सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 2472/297/3 रकबा 0.0145 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0145 हैक्टियर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजीमबलिक बाबतखर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह
 फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक को अदा करें।
 बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 05.08.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत.....

ओहदा.....

 जयपुर (ग्रामीण)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	4	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	2	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	2
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6. बाबत इजराय	
7. बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7. मुतफरिक	
8. मुतफरिक			
जोड़	6	जोड़	2

.....

 जयपुर (ग्रामीण)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं, जिला जयपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी :-प्रियंका बड़गूजर (R.A.S.)

उनवान

1. राजकुमार पुत्र कालूराम
2. रामस्वरूप पुत्र कालूराम

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम सरगोट, तहसील रींगस, जिला सीकर।

-वादीगण-

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र बालूराम
2. राकेश पुत्र बालूराम
3. शंकरलाल पुत्र नाथूराम

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम बाढ़ावाली तन ढोढ़सर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक:-05.08.2024

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीया सं0 1 व 2 उपस्थित। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीया सं0 1 व 2 को सुना गया। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीया सं0 1 व 2 द्वारा वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री के अनुसार आए कुर्रजात रिपोर्ट दिनांकित 20.05.2024 पर सहमति जताते हुए वादपत्र को अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली में सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। अतः मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट दिनांक 20.05.2024 वाद को अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम बाढ़ावाली, पटवार हल्का ढोढ़सर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगोदखुर्द, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता संख्या 306 के खसरा नं0 2472/297 रकबा 0.08 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.08 हैक्टियर भूमि का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता है:-

1. शारदा देवी पत्नी राकेश, नाबा0 तनु, निशा पुत्रियां राकेश, नाबा0 निखिल पुत्र राकेश संरक्षक माता शारदा देवी पत्नी राकेश हिस्सा 1/2, बाबूलाल पुत्र बालूराम हिस्सा 1/2, जाति अहीर सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 2472/297/1, रकबा

राजकुमार वगै0
बाबूलाल वगै0
जयपुर (ग्रामीण)

मु0सं0-08/2023

उनवान-राजकुमार वगै0 बनाम बाबूलाल वगै0

निर्णय दिनांक:-05.08.2024

0.0255 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0255 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

2. राजकुमार पुत्र कालूराम हिस्सा 1/2, रामस्वरुप पुत्र कालूराम हिस्सा 1/2, जाति अहीर निवासी सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर सीकर खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 2472/297/2 रकबा 0.0400 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0400 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
3. शंकरलाल पुत्र नाथूराम हिस्सा सम्पूर्ण, जाति अहीर सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 2472/297/3 रकबा 0.0145 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.0145 हैक्टेयर भूमि जो प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा।
निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर

चौमुं

सहायक कलक्टर, तहसील
श्रीमाधोपुर (ग्रामीण)